41

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश म.प्र.ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R. 2162 - III/14

श्री आर. एस. सेंगर अभि० द्वारा आज दि. 18-7-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Received
आर. एस. सेंगर एडवोकेट
18-7-14

रमेश चन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम झिरी तहसील पोहरी ,जिला शिवपुरी म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश कछारे पुत्र बद्रीप्रसाद लाईन मेन निवासी के.एस.के. प्रिटिंग प्रेस मोहनलाल दीवान वाली गली में साइंस कालेज के पीछे, शांतिनगर शिवपुरी म.प्र.
2. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार तहसील पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 109/ 2013–14 अ– 12 मे पारित आदेश दिनांक 28.6.2014 के विरूद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम झिरी स्थित सर्वे क्रमांक 2860 रकवा 1.00 हेक्टर का सीमाकंन हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार पोहरी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा दिनांक7.6.2014 को सीमाकंन हेतु परवाना जारी क्रिया गया। आवेदक का सर्वे क्रमांक 3724 एवं 3725 (एवं 3720, 3722, 3723) अनावेदक के सर्वे क्रमांक 2860 से लगा हुआ है विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया और ना ही सीमावर्ती कृषकों को कोई सूचना पत्र जारी किया गया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2162–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

रमेश चन्द्र विरूद्ध ओमप्रकाश करारे व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील पोहरी, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 109/2013–14/अ–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	